राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 1]   चौदहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र का इकतीसवां दिवस   [संख्या : 9

गुरुवार,

20 फरवरी, 2014

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

परसराम मदेरणा, श्री, पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री परसराम मदेरणा के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व सदस्य श्री परसराम मदेरणा का जन्म 23 जुलाई, 1926 को जोधपुर जिले के चाडी ग्राम में हुआ। आपने एम.ए. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री परसराम मदेरणा दूसरी से सातवीं तथा नौवीं से ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा तक नौ बार कांग्रेस के विधायक रहे। आपने दूसरी एवं तीसरी विधान सभा में ओसियां; चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, नौवीं एवं ग्यारहवीं विधान सभा में भोपालगढ़ तथा दसवीं विधान सभा में गुढ़ामालानी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। ग्यारहवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप 6 जनवरी, 1999 से 15 जनवरी, 2004 तक विधान सभा के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे।

पांच दशक से भी अधिक अवधि का संसदीय अनुभव रखने वाले श्री मदेरणा ने विधान सभा अध्यक्ष के रूप में सदन में स्वस्थ संसदीय प्रतिमानों की स्थापना की। कुशल प्रशासक रहे श्री मदेरणा राजस्थान सरकार में मार्च, 1962 से अप्रैल, 1966 तक विभिन्न विभागों के उप मंत्री तथा अप्रैल, 1966 से अप्रैल, 1977 एवं जुलाई, 1981 से मार्च, 1985 तक कृषि, खाद्य, पंचायती राज, सैनिक कल्याण, पशुपालन, अकाल राहत, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा सिंचाई

(श्री अध्यक्ष)

सहित अनेक विभागों के मंत्री रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप जन लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा पेयजल समस्या समाधान समिति के सदस्य तथा अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, जन लेखा समिति तथा राजकीय उपक्रम समिति के सभापति रहे। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री मदेरणा वर्ष 1974 से 1977 तक राजस्थान विधान सभा में कांग्रेस विधायक दल के उप नेता तथा तीन बार सदन में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे।

किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहे श्री मदेरणा वर्ष 1953 से 1956 तक ग्राम पंचायत चाडी के सरपंच, राजस्थान को-आपरेटिव भूमि बंधक बैंक के संचालक तथा सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, जोधपुर के दो बार चेयरमैन रहे। श्री मदेरणा जोधपुर विश्वविद्यालय की सिंडीकेट के सदस्य भी रहे। कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री मदेरणा ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सहित अनेक पदों के दायित्वों का निर्वहन किया।

श्री परसराम मदेरणा का दिनांक 16 फरवरी, 2014 को निधन हो गया। श्री मदेरणा के निधन से राज्य ने एक कुशल प्रशासक, संसदविद् तथा लोकप्रिय जन-नेता खो दिया है।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत श्री परसराम मदेरणा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की)

ओम शांति ओम।

सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 11.05 बजे 11.35 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(11.35 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

आपत्ति

बजट प्रस्तुत होने के समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज तक की परम्परा रही है कि जिस दिन बजट प्रस्तुत होता है उस दिन न तो शून्य काल होता है, न प्रश्न काल होता है। शून्य काल नहीं है तो व्यवस्था के प्रश्न का सवाल ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह नई परम्परा कहां प्रारम्भ हो रही है?

श्री अध्यक्ष: बिजनस भी नहीं है, नेता प्रतिपक्ष।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट उसमें बोल लूं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): यह नई परम्परा कहां से आ गई जो आप भरतपुर में कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इन्होंने बनाई है न परम्परा। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बनाई है न परम्परा कि हाउस के चलते हुए बाहर घोषणाएं कर रहे हैं, सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): यह कौनसी परम्परा थी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप एक साथ बोलते हैं कि मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूं, एक बार आप विराजिये। ऐसा है कि कोई बिजनस अभी हाउस के सामने नहीं है ऐसी स्थिति में व्यवस्था का कोई प्रश्न अभी उठना ठीक नहीं लगता। यह मेरा निवेदन है कि कार्यवाही चालू हो जाए और उसमें जब भी आपको कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना हो तो आप सहर्ष उठा सकते हैं मेरी अनुमति से। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, सरकार को ऐसी कौनसी जल्दी थी? कल उन्होंने जो घोषणा की उसको आज भी कर सकते थे। यह हाउस की अवमानना नहीं है? यह हमारा प्रिविलेज नहीं है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति दी है? अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से बोल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: देखिये, आप अगर स्वर्गीय परसरामजी के प्रति सम्मान के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पर्याप्त रूप से राजस्थान में उनको सम्मान दिया गया है। असेम्बली की भी हमने एक रोज की छुट्‌टी की है, उसके बाद विधान सभा के कर्मचारियों ने भी श्रद्धांजलि दी है। और सारे राजस्थान में उनको श्रद्धांजलि दी गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनके सम्मान को कम करने के लिए इस तरह की बातें यहां न रखें जिससे कि गलत मैसेज जाए, इसलिए आप बैठिये। बैठिये, बैठिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): उनको अगर सम्मान ही देना है तो छुट्‌टी कराओ हाउस की। पूरे दिन की छुट्‌टी करो अगर सम्मान ही देना चाहते हो तो। सम्मान का नाटक क्यों कर रहे हो?

श्री अध्यक्ष: छुट्‌टी की थी यहां। विराजिये। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री कालूलाल गुर्जर।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (संख्या 3)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: डोटासराजी, बैठिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, सदन के चलते हुए सरकार ने भरतपुर में जाकर घोषणाएं की हैं जो माननीय सभी सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन हो रहा है। आप अनुमति नहीं देंगे तो कौन देगा? आप अगर हाउस में नहीं बोलने देंगे तो कौन बोलने देगा फिर? (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 6 फरवरी, 2014 को सायंकाल 6.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 21 फरवरी, 2014 को सदन में लिये जाने वाले अग्रेत्तर कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया जाए:-

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ..सरकार जहां-जहां घूमकर आई है वहां घोषणाएं की गई हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप कृपया प्रतिवेदन रखने दीजिये। (व्यवधान) विराजिये। कृपया प्रतिवेदन रखने दीजिये। माननीय गोविन्द सिंहजी, विराजिये, प्रतिवेदन आने दीजिये। (व्यवधान) विराजिये ताकि कार्यवाही चालू हो। लालसोट से आने वाले माननीय विधायक, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त हाउस चल रहा हो, सरकार बाहर जाकर अपनी घोषणाएं करती रहे, यह सदन की, हाउस की अवमानना है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी, 2014 –

(1) राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2014,

(2) बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014

(3) मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014

(4) शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014

(5) माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (सिरोही) विधेयक, 2014 एवं

(6) पेसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2014

- पर विचार एवं पारण।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रिविलेज का मोशन मूव किया हुआ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने जो प्रिविलेज का मोशन मूव किया है उसमें बड़ी डैलिकेसीज हैं। उसमें इंटलैक्चुअल कई तरह के प्रश्न हैं। उसमें कई ऐसे विषय भी हैं जो रीसेंट के नहीं हैं। लेकिन आपने उसको रखा है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज की कार्यवाही चलने दें, इस पर मैं कल अपनी व्यवस्था दूंगा अध्ययन करके।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, राजस्थान का प्रतिवेदन (वर्ष 2010-15) व उस पर कार्यवाही के विवरण का ज्ञापन एवं...

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं...

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर प्रतिवेदन एवं लेखे रखे जा रहे हैं। और कोई विषय ही नहीं है। (व्यवधान) मैं आपको भी समय दूंगा।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): ...ये हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हैं, आप तो सुन लीजिये हमारी बात। मार्च, 2012 को अशोक गहलोत सरकार द्वारा भरतपुर और धौलपुर के जाटों की सिफारिश केन्द्र से की गई थी, अब ये किस बात का नाटक कर रहे हैं? या तो वह मान्य नहीं है। इसका जवाब हमको आपसे चाहिए। ये जवाब नहीं देंगे। हमें इस बात का जवाब चाहिए कि उसकी सिफारिश मान्य है या नहीं मान्य है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चलता है और... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ...हमारी जो योजनाएं लागू की हुई हैं, उन योजनाओं को आप चलाना चाहते हैं या नहीं, इसको क्लीयर करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह पुस्तिका है, आप नियमों की पुस्तिका पढ़कर आएं। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को आप बैठने के लिए कह रहे हैं, उसके बाद भी बिना आपकी अनुमति के बोल रहे हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, बिना किसी नियम के कोई भी बात कह देगा तो वह सदन की गरिमा के विपरीत है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपने इन लोगों को अनुमति दी नहीं। आपने व्यवस्था दे दी, आपने अनुमति दी नहीं, उसके बाद भी ये जानबूझकर और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): संसदीय कार्य मंत्रीजी के द्वारा

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

सदन के बाहर घोषणाएं की गई हैं, उनके बारे में हमको जवाब चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्य मंत्री आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-2015 का उपस्थापन करेंगी। (व्यवधान)

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन व कार्यवाही के विवरण का ज्ञापन

(1) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, राजस्थान का प्रतिवेदन (वर्ष 2010-15) तथा उस पर कार्यवाही के विवरण का ज्ञापन, एवं

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान द्वारा संपरीक्षित लेखों का समेकित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2012-13)

(2) राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 की धारा-18 के अन्तर्गत निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा संपरीक्षित लेखों का समेकित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012-13.

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप बैठिये। आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-2015 का उपस्थापन। श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्य मंत्री। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

(श्री रामेश्वर लाल डूडी, नेता, प्रतिपक्ष द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): ××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, आप बैठिये। कृपा करके बैठिये। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कृपा करके बैठिये। कृपा करके बैठिये। (व्यवधान) इस सदन की कुछ मर्यादाएं हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बैठिये कृपा करके। (व्यवधान) बैठिये आप, अपना स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) इससे कुछ नहीं निकलेगा। इससे कुछ नहीं निकलेगा। आप भी बैठिये, खींवसर से आने वाले माननीय विधायक। आप बैठिये। (व्यवधान) इससे कुछ नहीं निकलेगा। (व्यवधान) लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय विधायक, मैं आपसे कह रहा हूं। आसन पैरों पर है। (व्यवधान) आप बैठिये, आप बैठिये। आप भी बैठिये, आप भी बैठिये। आप भी बैठिये। खींवसर से आने वाले विधायक, मैं आपको नाम से पुकारूंगा, अगर आप नहीं बैठे तो। बैठिये। (व्यवधान) कुछ ऐसे मौके होते हैं इस सदन में, जब बड़ी संवैधानिक तरीके से सदन की मर्यादा का पालन किया जाता है और जब बजट पेश किया जाता है तो यह पवित्र दिन होता है, जबकि हमको बहुत ही शान्ति से, बहुत ही धैर्य से बजट को सुनना चाहिये। ऐसे अवसर पर किसी तरह की बाधा उत्पन्न करना, मैं उसको उचित नहीं मानता।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, आप बैठिये। आप मेरी बिना अनुमति से बोल रहे हैं। आप बैठिये। आप बैठिये, आप बैठिये। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: ×××

श्री अध्यक्ष: किरोड़ी लालजी, बैठिये। खींवसर से आने वाले विधायक, मैं आपसे कह रहा हूं, बैठिये आप। यह नहीं हो सकता। इस पवित्र दिन को, महत्वपूर्ण दिन को आप इस तरह से डिस्टर्ब करें, कतई नहीं करें। आप भी बैठिये। बैठ जाइये, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अपना स्थान ग्रहण कीजिये। यह नहीं हो सकता। शांति से हमारी सदन की जो नेता हैं, वह अपना बजट भाषण कर रही हैं लेखानुदान पेश करते हुए, उसको सुनिये। उसके बाद हर विषय पर हम चर्चा करेंगे, इसलिए आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: बार-बार आप डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, डोटासराजी। बार-बार यह क्या हो रहा है? हमको कुछ मर्यादाओं का पालन करना है। देश में वैसे ही लोकतंत्र की बड़ी हंसी उड़ रही है। हमारा सबका कर्तव्य है कि लोक सभा ठीक चले और विधान सभा ठीक चले, जनता में मैसेज ठीक जाए।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप, धीरजजी। यह क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आता। मैं चाहता हूं, बिना मेरी परमिशन के अब कोई नहीं उठेगा, अन्यथा मुझे सख्त होना पड़ेगा। (व्यवधान) बोलने का अवसर आए तब बोलिये। बोलने का अवसर आए तब बोलिये। हर समय बोलते हो। किताब पढ़ी कि नहीं वह? बोलने का अवसर आए तब बोलिये आप। पर्याप्त समय दूंगा, लेकिन यह मैं अलाउ नहीं करूंगा कि हर कोई उठ जाए। बैठ जाइये, खींवसर से आने वाले माननीय विधायक। बैठो, बैठो, डिस्टर्ब नहीं करो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। (व्यवधान) मैं सख्ती नहीं कर रहा हूं। मैं इस दिन की मर्यादा के बारे में आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। बैठ जाइये अब आप। आप बैठ जाइये। धीरज, बैठो। बैठिये। माननीय सदन की नेता।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2014-2015 के लिए राजस्थान राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण और वर्ष 2013-14 के संशोधित अनुमान...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: किरोड़ी लालजी, बैठिये। मुझे नाम से पुकारना पड़ेगा। हां, धीरज, आपको भी नाम से पुकारना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आज के दिन किसी तरह की सख्ती की जाए। अब कोई नहीं बोलेगा इधर से, जब तक यह भाषण पूरा नहीं होता। बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): ×××

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

अनेक माननीय सदस्य: ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: सरदारशहर से आने वाले माननीय विधायक, आप बहुत पुराने विधायक हैं, इसलिए आप विराजिये। आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: सदन की नेता महोदय।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-15 का उपस्थापन

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2014-2015 के लिए राजस्थान राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण और वर्ष 2013-14 के संशोधित अनुमान सभा पटल पर रख रही हूं।

2. राज्य में नवम्बर, 2013 में सम्पन्न हुए विधान सभा चुनाव में राज्य की जनता ने राज्य के तीव्र विकास और राज्य में सुराज लाने हेतु हमारी नीतियों, संकल्पों और प्राथमिकताओं में गहरा विश्वास व्यक्त करते हुए हमें ऐतिहासिक जनादेश प्रदान किया है। हमारे पिछले शासनकाल की तरह इस बार भी हम कुशल वित्तीय प्रबन्धन और सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतया कृतसंकल्पित हैं। राज्य में सुराज लाना हमारी प्रतिबद्धता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विकास और रोजगार सृजित करने वाली आर्थिक नीतियों के माध्यम से

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

राजस्थान को एक विकसित और सशक्त राज्य के रूप में राष्ट्र के मानचित्र पर स्थापित कर हम राज्य की जनता की आशा और विश्वास पर खरे उतरेंगे।

3. इस सदन में पूर्व सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2013-14 के बजट अनुमानों के अनुसार 1 हजार 25 करोड़ 86 लाख रुपये का रेवेन्यू सरप्लस और 13 हजार 19 करोड़ 86 लाख रुपये का फिस्कल डैफिसिट अनुमानित किया था। रेवेन्यू सरप्लस और फिस्कल डैफिसिट का अनुमान जानबूझकर त्रुटिपूर्ण रूप से किया गया था। उदाहरण के लिए, अध्यक्ष महोदय, सामाजिक पेंशन योजनाओं के तहत बजट अनुमान मात्र 710 करोड़ रुपये रखा गया था। बजट प्रस्तुत करते समय घोषणा की गई कि 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा। यदि 1500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भार का प्रावधान बजट में ही कर दिया जाता तो रेवेन्यू सरप्लस 1 हजार 25 करोड़ रुपये के स्थान पर 475 करोड़ रुपये के रेवेन्यू डैफिसिट में बदल जाता। यही नहीं, वर्ष के दौरान पेंशन हेतु 1 हजार 465 करोड़ रुपये के एडिशनल आथोराइजेशन किये गये, यानि कुल प्रावधान 2 हजार 175 करोड़ रुपये रखा गया। वास्तव में पेंशन योजना पर व्यय 2 हजार 540 करोड़ रुपये होगा जिसका प्रावधान अब हमने संशोधित अनुमानों में किया है। इस वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में होने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए गत राज्य सरकार ने अनेक योजनाओं की आनन-फानन में घोषणाएं कीं, इन घोषणाओं को क्रियान्वित करने के लिए पूर्व सरकार द्वारा सितम्बर माह तक लगभग 14 हजार करोड़ रुपये का एडिशनल आथोराइजेशन बजट से परे जाकर किया गया। इन घोषणाओं और कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप इस वर्ष रेवेन्यू सरप्लस का रेवेन्यू डैफिसिट में बदलना निश्चित था और फिस्कल डैफिसिट भी तीन प्रतिशत की सीमा से कहीं अधिक पहुंचना ही था।

4. हमने गत 2 माह में बेकाबू होते जा रहे रेवेन्यू और फिस्कल डैफिसिट को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। हम कुछ सीमा तक फिस्कल डैफिसिट और रेवेन्यू डैफिसिट को नियंत्रित करने में सफल भी हुए हैं। सदन के समक्ष वर्ष 2013-14 हेतु अब प्रस्तुत संशोधित अनुमानों के अनुसार रेवेन्यू डैफिसिट 2 हजार 505 करोड़ 15 लाख रुपये अनुमानित है और फिस्कल डैफिसिट 18 हजार 301 करोड़ 27 लाख रुपये अनुमानित है। इस प्रकार राज्य दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इस वित्तीय वर्ष में रेवेन्यू डैफिसिट में रहेगा व फिस्कल डैफिसिट के भी जीएसडीपी के 3.56 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

निश्चित ही ये परिणाम एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हैं और इन लक्ष्यों को प्राप्त न करने के कारण राज्य को नेशनल स्माल सेविंग्स फण्ड ऋणों पर ब्याज दरों में मिलने वाली 172 करोड़ रुपये की राहत से वंचित रहना पड़ेगा।

5. माननीय अध्यक्षजी, पूर्व सरकार द्वारा इस वर्ष की योजना का आकार 40 हजार 500 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। इस स्तर की योजना को वित्त पोषित करने के लिये केन्द्रीय करों से 20 हजार 361 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान किया गया था। ये अनुमान अपने आप में ही अव्यावहारिक थे। पिछले कुछ महीनों से केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के हिस्से में कटौती की जा रही है जिसके कारण इस वर्ष हमें कम से कम 1 हजार 200 करोड़ रुपये कम प्राप्त होंगे। इसके बावजूद भी हमारी सरकार द्वारा इस वर्ष की संशोधित योजना को 42 हजार 498 करोड़ 81 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है।

6. अब मैं, वर्ष 2014-15 के बजट अनुमानों के मोटे तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहती हूं।

7. वर्ष 2014-15 में 1 लाख 12 हजार 955 करोड़ 6 लाख रुपये का कुल व्यय अनुमानित किया गया है। इन बजट अनुमानों में रेवेन्यू एक्सपेंडीचर 90 हजार 752 करोड़ 23 लाख रुपये और रेवेन्यू रिसीट्स 91 हजार 483 करोड़ 98 लाख रुपये अनुमानित की गई हैं। इस प्रकार पुन: राज्य को रेवेन्यू सरप्लस की तरफ लाने के लिए राजस्व खाते में 731 करोड़ 75 लाख रुपये का रेवेन्यू सरप्लस अनुमानित किया गया है। राज्य का फिस्कल डैफिसिट रुपये 16 हजार 355 करोड़ होना अनुमानित किया गया है जो कि राज्य की अनुमानित राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 2.86 प्रतिशत रहने का अनुमान है। हम राज्य को पुन: जीएसडीपी के 3 प्रतिशत से कम फिस्कल डैफिसिट में लाने के लिए संकल्पित हैं। राज्य का डैट-जीएसडीपी रेशो 25.73 प्रतिशत रहना अनुमानित है। इस प्रकार मुझे विश्वास है कि राज्य आगामी वर्ष में एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सभी मानकों को पूरा कर सकेगा।

8. केन्द्र सरकार द्वारा आगामी वर्ष 2014-15 के लिए दिनांक 17 फरवरी, 2014 को लोक सभा में लेखानुदान की मांग प्रस्तुत की गई है। इस तिथि से पूर्व ही राज्य सरकार के बजट अनुमानों को अंतिम रूप देने के कारण केन्द्र सरकार से आगामी वर्ष में राज्य को मिलने वाले करों के भाग व अन्य

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अनुदान राशियों की विगत का आकलन राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर ही किया गया है। इसी प्रकार सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स के सम्बन्ध में अगले वर्ष मिलने वाली राशियों की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। न ही योजना आयोग द्वारा अभी तक केन्द्रीय सहायता योजनाओं की पूर्ति हेतु संसाधनों की राशि निर्धारित की गई है।

9. हमारी सरकार द्वारा आगामी वर्ष 2014-15 का योजना व्यय 46 हजार 989 करोड़ 33 लाख रुपये अनुमानित किया गया है। राज्य सरकार वर्ष 2014-15 में राज्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में महत्वाकांक्षी योजनाएं लाएगी जिससे जनता का सीधा लाभ हो। सामाजिक और आर्थिक आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में कार्य करना हमारी प्राथमिकता है। सौर ऊर्जा से पांच वर्ष में 25 हजार मेगावाट बिजली पैदा करना, राज्य के पूर्व और पश्चिमी क्षेत्रों को सड़कों के एक नैटवर्क (ईस्ट-वैस्ट कारिडोर) सहित राज्य में लगभग 20 हजार किलोमीटर के राज्य मार्ग और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स को मेगा हाइवेज के स्तर तक अपग्रेड करने और राज्य के 20 हजार से अधिक अन्डर-सर्व्ड और प्राब्लेमेटिक गांवों में अच्छे पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनाई जाएगी। इसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र में गरीब व अशक्त परिवारों को सभी व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का लाभ एक साथ भामाशाह योजना के माध्यम से कराया जाएगा। हमारी प्राथमिकताओं और जन आकांक्षाओं के अनुकूल योजनाओं हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य की परिवर्तित योजना वर्ष 2014-15 के परिवर्तित बजट अनुमानों के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

10. वर्ष 2014-15 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है और अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं। आगामी लोक सभा चुनावों के कारण बजट प्रस्तावों पर विधान सभा में चर्चा कराकर 31 मार्च, 2014 से पूर्व वार्षिक बजट पारित कराया जाना सम्भव नहीं है, अत: हम वित्तीय वर्ष 2014-15 के पहले चार महीनों के लिए, यथा 31 जुलाई, 2014 तक व्यय हेतु लेखानुदान का प्रस्ताव कर रहे हैं। इस लेखानुदान में मांग संख्या 7- निर्वाचन, मांग संख्या 27- पेयजल और मांग संख्या 34- प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए पूरे वर्ष के लिए अपेक्षित राशि की मांग की गई है क्योंकि इन मदों में इन्हीं महीनों में अधिक व्यय होने की सम्भावना है और इस व्यय को स्थगित नहीं किया जा सकता है। लेखानुदान

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

की अवधि यथा 31 जुलाई, 2014 के पूर्व ही सदन के समक्ष परिवर्तित बजट अनुमान व प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये जाएंगे।

मैं लेखानुदान प्रस्तावों को स्वीकृत करने के अनुरोध के साथ माननीय सदन के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-15 का उपस्थापन करती हूं एवं इसे सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को...(व्यवधान) यह विवरण रख दिया न, नहीं रखा अभी तक?

सदन की नेता महोदय, श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्य मंत्री वोट आन अकाउंट सम्बन्धी विवरण भी प्रस्तुत करेंगी। (व्यवधान) यह तो रख दिया न।

आय-व्ययक

लेखानुदान सम्बन्धी विवरण वर्ष 2014-15 का उपस्थापन

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2014-15 के लिए लेखानुदान (वोट आन अकाउंट) सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत करती हूं।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्य मंत्री लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगी।

लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान वर्ष 2014-15 के विवरण में मांग संख्या-1 से 51 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिनका योग 37,744,30,87,000 (सैतीस हजार सात सौ चवालीस करोड़ तीस लाख सत्तासी हजार रुपये) मात्र है, व्यय के लिए अनुदत्त कर दी जाएं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान वर्ष 2014-15 के विवरण में मांग संख्या-1 से 51 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिनका योग 37,744,30,87,000/- (सैतीस हजार सात सौ चवालीस करोड़ तीस लाख सत्तासी हजार रुपये) मात्र है, व्यय के लिए प्रदान की जाएं?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्रीमती वसुन्धरा राजे।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2014

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष: विचारार्थ के लिए। श्रीमती वसुन्धरा राजे...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, आप मुखबंद का तो प्रयोग करो।

श्री अध्यक्ष: मुखबंद का कर लेंगे जब समय आएगा। आने दो, मुख बंद का भी आ रहा है। श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए। अब यह बोलने का अवसर है अगर आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं।

विधेयक पर विचार

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2 व 3, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 व 3 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 व 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

मैं निवेदन कर रहा हूं, पुकार लिया है आपको।

विधेयक का पारण

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: कोई बोल रहा है?

व्यवस्था का प्रश्न

लेखानुदान में समय सीमा का उल्लेख होना चाहिए

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं आपका एक नियम के प्रति ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हालांकि वोट आन अकाउंट से सम्बन्धित इस पूरी प्रक्रिया को आप निर्धारित नियमों से इस श्रेणी में ले आये हैं। मैं आपको काल और शकधर के पेज-58 की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो जो आपके लेखानुदान आये हैं, लेखानुदान में यह अनिवार्य था कि फाइनेंस मिनिस्टर और सदन की नेता के श्रीमुख से आप टाइम पीरियड स्पेसिफाई करवाते। इसमें टाइम पीरियड स्पेसिफाई लिखित में नहीं है। सदन की नेता के श्रीमुख से टाइम स्पेसिफाई किया गया 31

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

जुलाई, 2014, 31 जुलाई, 2014 अपन देखते हैं, आदरणीय, क्योंकि यह एक नियम की आप परम्परा डाल रहे हैं। मैं व्यवधान नहीं डालना चाहता because I have always been understood in a different light. मैं इसको क्लीयर करना चाहता हूं। कौल और शकधर यह कहता है, "Normally the vote on account is taken for two months in an election year or when it is anticipated that the main demands and the appropriate Bill will take longer than two months." जब लोंगर दैन टू मन्थस होता है तो यह कहता है, "Where the vote on account is taken for more than two months and there is a time lag between the vote on account i.e. three months or four months then... एक मिनट, आदरणीय शिक्षा मंत्री, then there is a provision for cut motion. आप इस रूल को डिलीट करवाइये और हमारे रूल बुक में डलवाइये कि this will not be allowed. अदरवाइज आप परम्परा डाल देंगे और परम्परा डालकर पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेज के इस नियम का आप बार-बार उल्लंघन करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर आपका, आसन का कम से कम वक्तव्य आ जाए कि हम इस प्रकार की चीज को रूल में डालकर आज से आइंदा के लिए इस चीज को, इस विषय को ही खतम करना चाहते हैं।

व्यवस्था

कौल एण्ड शकधर का सन्दर्भ बाध्यकारी नहीं

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कौल एवं शकधर का जो आपने रेफरेंस दिया है, एकेडेमिक डिस्कशन की यह एक लेखबद्ध पुस्तक है और इसको एकेडेमिक डिस्कशन तक ही रखें। यह मैण्डेटरी नहीं है कि कौल एवं शकधर ने जो भी लिख दिया उसको माना जाए और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपका यह जो पाइन्ट आफ आर्डर है, यह आर्डर नहीं है। जो आपने कहा कि परम्परा पड़ जाएगी, तो परम्परा पड़ जाएगी तो परम्परा टूट भी जाएगी। परम्परा अपन ही बनाते हैं और अपन ही इसको ठीक करते हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): फिर मैं आसन से निवेदन करता हूं कि आसन द्वारा दिया हुआ 488 नम्बर का, आपके आसन से दिया हुआ 29 मार्च, 1971 का नियम आप पढ़वा लेना। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि आपको उसका...

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको निवेदन किया कि कौल एण्ड शकधर मैण्डेटरी नहीं है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): कौल एण्ड शकधर का नहीं, मैं आसन का नियम पढ़ रहा हूं। इस आसन द्वारा दिया हुआ नियम पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: इसको मैं देख लूंगा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): इसको आप दिखवा लेना और इसमें आप संशोधन, यही मेरा निवेदन था।

विधायी कार्य : विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2014

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2014 को पारित किया गया।

श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्य मंत्री।

अनुपूरक अनुदान की मांग

अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 2013-14) (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2013-14 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: आसन की ओर से अब अनुपूरक अनुदान की मांगें मुख बंद का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।

मुखबंद

अनुपूरक अनुदान की मांगों का पारण

मांग संख्या 1-राज्य विधान मण्डल

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-1 राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,68,48,000/- (एक करोड़ अड़सठ लाख अड़तालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 2-मंत्री परिषद

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-2 मंत्रिपरिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,00,000/- (बीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 3-प्रशासनिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-3 प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,07,80,000/- (सत्रह करोड़ सात लाख अस्सी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 6– न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–6 न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 43,55,49,000/- (तियालीस करोड़ पचपन लाख उनचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 7– निर्वाचन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–7 निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,10,41,81,000/- (एक अरब दस करोड़ इकतालीस लाख इक्यासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 9– वन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या– 9 वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 82,39,63,000/- (बयासी करोड़ उनतालीस लाख तिरेसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 10– विविध सामान्य सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–10 विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,71,61,94,000/- (एक अरब इकहत्तर करोड़ इकसठ लाख चौरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 11– विविध सामाजिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–11 विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,87,79,000/- (सात करोड़ सतासी लाख उन्यासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 12– अन्य कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–12 अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 92,89,99,000/- (बानवे करोड़ नवासी लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 13-आबकारी

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–13 आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,69,36,000/- (दो करोड़ उनहत्तर लाख छत्तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 14– बिक्री कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–14 बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,49,79,94,000/- (एक अरब उनचास करोड़ उन्यासी लाख चौरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 15– पैंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–15 पैंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 77,87,26,000/- (सतहत्तर करोड़ सतासी लाख छब्बीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 16– पुलिस

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,31,10,53,000/- (दो अरब इकतीस करोड़ दस लाख तिरेपन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 17– कारागार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–17 कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,02,65,000/- (दस करोड़ दो लाख पैंसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 18– जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–18 जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,15,99,49,000/- (एक अरब पन्द्रह करोड़ निन्यानवे लाख उनचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 19– लोक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–19 लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,18,62,000/- (चार करोड़ अठारह लाख बासठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 20– आवास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–20 आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 92,33,75,000/- (बानवे करोड़ तैंतीस लाख पचहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 21– सड़कें एवं पुल

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–21 सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,16,43,87,000/- (एक अरब सोलह करोड़ तियालीस लाख सतासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 22– क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या– 22 क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,82,58,000/- (छह करोड़ बयासी लाख अठावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 23– श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या– 23 श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,46,94,000/- (पांच करोड़ छियालीस लाख चौरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 24– शिक्षा, कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या– 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,61,84,89,000/- (तीन अरब इकसठ करोड़ चौरासी लाख नवासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 25– कोषागार व लेखा प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-25 कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,08,22,000/- (अठारह करोड़ आठ लाख बाइस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,88,95,79,000/- (दो अरब अठासी करोड़ पचानवे लाख उन्यासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 27–पेयजल योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,99,39,98,000/- (तीन अरब निन्यानवे करोड़ उनतालीस लाख अठानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,61,49,24,000/- (तीन अरब इकसठ करोड़ उनचास लाख चौबीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 32– नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-32 नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 89,43,86,000/- (नवासी करोड़ तियालीस लाख छियासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 43,27,88,000/- (तियालीस करोड़ सत्ताइस लाख अठासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये

(श्री अध्यक्ष)

3,04,07,73,000/- (तीन अरब चार करोड़ सात लाख तिहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 36-सहकारिता

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,25,68,18,000/- (एक अरब पच्चीस करोड़ अड़सठ लाख अठारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 37-कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-37 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 59,33,77,000/- (उनसठ करोड़ तैंतीस लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये

(श्री अध्यक्ष)

जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,36,60,13,000/- (एक अरब छत्तीस करोड साठ लाख तेरह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 40– राजकीय उपक्रम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-40 राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 85,06,47,000/- (पचासी करोड़ छह लाख सैंतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,22,28,42,000/- (तीन अरब बाइस करोड अट्ठाइस लाख बियालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 42-उद्योग

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-42 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 42,34,49,000/- (बयालीस करोड़ चौंतीस लाख उनचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 43-खनिज

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-43 खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 44,31,30,000/- (चवालीस करोड़ इकत्तीस लाख तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 44-लेखन सामग्री तथा मुद्रण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-44 लेखन सामग्री तथा मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,99,74,000/- (एक करोड़ निन्यानवे लाख चौहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 46-सिंचाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-46 सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 52,52,21,000/- (बावन करोड़ बावन लाख इक्कीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 47-पर्यटन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-47 पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,89,35,000/- (चार करोड़ नवासी लाख पैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 48-विद्युत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-48 विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,99,29,51,000/- (पांच अरब निन्यानवे करोड़ उनतीस लाख इक्यावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,94,77,85,000/- (चार अरब चौरानवे करोड़ सतहत्तर लाख पचासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2014

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री विधेयक को विचारार्थ लिये जाने हेतु प्रस्ताव करेंगी।

विधेयक पर विचार

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 व 3, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, आपकी आंख कैच करूं?

श्री अध्यक्ष: बोलिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसमें नियम यह है कि अध्यक्ष महोदय की आंख से जो आंख मिला ले और जिससे अध्यक्ष महोदय की आंखें चार हो जाएं...

श्री अध्यक्ष: मेरी आंख नीचे पढ़ने में लग रही थी तो कैसे मिलाता आपसे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हाउस आफ कामन्स में यह व्यवस्था की हुई है कि जब स्पीकर की आंखें बंद हो जाएं तब पारित पर नहीं बोल सकते। पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी आंखें बंद न हों, खुली रहें।

धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: कृपा है आपकी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2014 को पारित किया गया।

सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 21 फरवरी, 2014 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.32 बजे शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी, 2014 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)